

## फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत- ..... सहायक कलेक्टर ..... मुकाम- ..... डीडवाना .....

प्रार्थी :- बिरबल पुत्र लच्छाराम जाति अहीर निवासी अहीरों का बास, सुद्रासन, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान।

बनाम्

अप्रार्थीगण :- बाबुलाल पुत्र लच्छाराम जाति जाति अहीर निवासी अहीरों का बास, सुद्रासन, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान वगैराह।

किस्म मुकदमा- राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या. 142 सन्-.....2022..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
17.06.2022	<p>प्रार्थी बिरबल पुत्र लच्छाराम जाति अहीर निवासी अहीरों का बास, सुद्रासन, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान ने यह प्रार्थना-पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण बाबुलाल पुत्र लच्छाराम जाति जाति अहीर निवासी अहीरों का बास, सुद्रासन, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान वगैराह का पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी सुने गये तथा रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन करने तथा प्रार्थी के शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी आदेश तक वाकै सरहद अहीरों का बास, सुद्रासन के खसरा सं0 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79 में राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 के नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें।</p> <p>अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 14.07.2022 को पेश हो।</p> <p><b>सहायक कलेक्टर</b> डीडवाना (नागौर)</p> <p>14/7/22 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् P.O. सा. अवकाश, अन्य कार्य। दोरे पर पधारें हैं, मिसल दिनांक 9/9/22 को पेश हो।</p>	



31/1/24 पत्रावली पेश हुई । बार सम न अदालती  
कार्य स्थगित रखा है, मिसल दिनांक 30/4/24  
को पेश हो ।

30/4/24 पत्रावली पेश हुई । श्री गान् P.O. का  
अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधार है।  
मिसल दिनांक 15/7/24 को पेश हो।

15/7/24

वकील जयदी 09.।

अध्यायी नि. 5, 5, 7 का ॥ के पत्रावली पेश की है। पेश  
की है पर पारी है। पत्रावली वाले तालवी दिनांक 6/9/24 को  
पेश है।

W/keas  
उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना

128/2024

पार्सी के विवेक पर पत्रावली काज पेश हुई।

पार्सी स्वयं उपस्थित।

पार्सी का प्रत्येक नेट सेट से खारिज होने के कारण इस अधिन पत्र का कोर्ट को भिन्न नहीं रह गया है।

वीरम चहू

अतः हस्तगत पार्सी का प्रत्येक नेट खारिज होने के नेट सेट से खारिज किया जा रहा है।

निर्दिष्ट मुकाम मुपा।

पत्रावली कपन नकर से रज होकर लीकिले उपस्थित है।

W/keas  
उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना